

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक / सीडर / 2021 / 394

दिनांक :- 19.07.21

मुकदमा नंबर 195 / 2019

प्राथीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. रामसिंह पुत्र श्री नैनसिंह 2. अमरसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी- रोडवा खुर्द तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. गोपाराम पुत्र अमानाराम 2. खानुाराम पुत्र भीखाराम 3. मालाराम पुत्र भीखाराम सभी जाति राईका 4. अर्जुनसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत 5. सांगाराम पुत्र हरजीराम 6. सुखाराम पुत्र हरजीराम 7. अनोपाराम पुत्र हरजीराम 8. गजरो पत्नी हरजीराम सभी जाति कुम्हार 9. रामचन्द्र पुत्र हरिया 10. रूपाराम पुत्र हरिया 11. सवाराम पुत्र हरिया 12. लवगो बेवा हरिया सभी जाति भील 13. गुलाबसिंह पुत्र सुजानसिंह 14. गंगासिंह पुत्र सुजानसिंह 15. आमकंवर पत्नी सुजानसिंह 16. देवीसिंह पुत्र मूरसिंह 17. हरीसिंह पुत्र मूरसिंह 18. खंगारसिंह पुत्र मूरसिंह 19. वैरीसालसिंह पुत्र फतेहसिंह 20. सुमेरसिंह पुत्र फतेहसिंह 21. समन्दसिंह पुत्र मालमसिंह 22. रेंवतसिंह पुत्र मालमसिंह 23. चैनसिंह पुत्र नाहरसिंह सभी जाति राजपूत सभी निवासीयान-रोडवा खुर्द तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर 24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी पचपदरा



आदेश

दिनांक :- 19.07.2021

उपयुक्त प्रकरण मौजा रोडवा खुर्द पटवार क्षेत्र शुम्बली तहसील पचपदरा में मूल खसरा 42 रकबा 12 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 439/43 रकबा 2 बीघा, खेत खसरा नम्बर 438/30 रकबा 11 बीघा 16 विस्वा व खसरा नम्बर 437/27 रकबा 5 बीघा व प्राथी संख्या 2 अमरसिंह का खातेदारी खेत खसरा न0 413/26 रकबा 19 बीघा 09 विस्वा व खसरा नम्बर 416/24 रकबा 35 बीघा 12 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- आक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निधारित की जाती है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करे ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
सप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रीडर / 2021 / 395

दिनांक :- 19.7.21

1. तहसीलदार पंचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली को पालना हेतू
3. पटवारी क्षेत्र थूम्बली तहसील पंचपदरा को भेजकर लेख है किनिर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्राथीगण :- रामसिंह पुत्र श्री नैनसिंह वगै० जाति राजपूत निवासी- रोडवा खुर्द तहसील पंचपदरा जिला बाडमेर।
5. विप्राथीगण :- गोपाराम पुत्र अमानाराम वगै० जाति राजपूत समी निवासीयान - रोडवा खुर्द तह० पंचपदरा, जिला बाडमेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा